न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजव) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 47/2017

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री बृज लाल जाति बिश्नोई निवासी 34 जीजी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. कालू राम पुत्र श्री जवाना राम जाति बिश्नोई निवासी 34 जीजी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री संजय जनवेजा, अधिवक्ता — अप्रार्थी सं.1
3. श्री सुभाष मिढा, अधिवक्ता — अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय ::– **28.11.2017**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 34 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/54 का मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 17, 24 व 25 की कुल 3.161 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृशि भूमि दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी को उक्त रकबा जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में स्वीकृत रास्ता से होकर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 की पूर्वी साईड में से होकर अपने खेत मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 5 में प्रवेश करता है लेकिन उक्त रकबा अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण हमेशा विवाद बना रहता है। इस लिये प्रार्थी उक्त मुरब्बा न. 12 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की ओर से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का रकबा में से किला नम्बर 5 व 6 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से व किल नम्बनर 15, 16 व 25 का रकबा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज कागजात माल है। जिसके लिये प्रार्थी निर्धारित मुआवजा अदा करने के लिये तैयार है। रास्ता स्वीकृत फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर उप तहसीलदार, चूनावढ से रिपोर्ट मंगवाई गई, उप तहसीलदार, चूनावढ द्वारा अपने पत्रांक 90 दिनांक 14.03.2017 को भिजवाई गई मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी कृष्ण लाल द्वारा अपने खातेदारी रकबा चक 34 जीजी खाता संख्या 57 मु.न. 17 का 3.161 है0 में आने जाने के लिये अप्रार्थी कालू राम पुत्र जवाना राम जाति बिश्नोई के खाता संख्या 9 के मु.न. 12 के किला न. 1 ता 10 का 2.403 है0 रकबा के कि.न. 5 व 6 में 0.025–0.025 है0 तथा अप्रार्थी मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अरोड़ा के खाता संख्या 74 के मु.न. 12 के कि.न. 13/2 ता 25 का 3.162 है0 रकबा के कि.न. 15, 16 व 25 में 0.025–0.025 है0 रास्ता

—cont (2)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

स्वीकृत करवाना चाहता है। जिस हेतु प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया है। प्रार्थी के रकबा के लिये अन्य कोई सुविधाजनक निक्टतम रास्ता का विकल्प नहीं है। मु.न. 12 में चाहा गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा मौका पर चालू नहीं है अर्थात प्रचलित रास्ता नहीं है। अप्रार्थी कालू राम पुत्र जवाना राम रास्ते के बदले भूमि लेने के लिये सहमत है तथा अप्रार्थी मनोज कुमार पुत्र लक्ष्मीनारण रास्ता के बदले भूमि या राशि लेने के बारे में अप्रार्थी से पूछा जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 14.06.2017 को अपने जवाब प्रार्थना पत्र में चक 34 जी जी के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 5 व 6 की पूर्वी दिशा की ओर 0.025–0.025 है0 रास्ता स्वीकृत तथा प्रार्थी से इसके बदले में कोई मुआवजा नहीं लेने की सहमति दी है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.08.2017 को अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मु.न. 12 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में आना जाना करता है, अगर रास्ता स्वीकार करते हुये जमीन के बदले साथ लगती जमीन देवे तो इस जगह रास्ता अर्थात उपरोक्त वर्णित किलो में रास्ता स्वीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

– :: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 34 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में से पूर्वी साईड में एक–एक बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से अपनी भूमि मु0स0 12 के किला न0 5 व 6 में रास्ते के बदले में जमीन अथवा मुआवजा नहीं चाहता। इस लिये प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 को किला न0 15, 16 व 25 के रास्ते के बदले अपनी खातेदारी भूमि में से एक–एक बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि को मुआवजा के रूप में देगा। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम अप्रार्थी संख्या 2 को किला न0 15, 16 व 25 में दिये गये रास्ते के बदले मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की भूमि में से एक–एक बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **28.11.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर